(196) (72)

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर कैम्प रीवा

प्रकरण क्रमांक R-1304-तीन/14

10रु. दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

10रु. दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

1-निगरानी पेश 7-3-14

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

हरिवंश सिंह तनय जमुना सिंह निवासी ग्राम गढ़ी कला तहसील मनगवा जिला रीवा म0प्र0 ..... आवेदक

बनाम

कान्तेश्वर सिंह पिता दिग्गज सिंह निवासी ग्राम गढ़ी कला तहसील मनगवा जिला रीवा म0प्र0 .... अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 13-01-2014 पारित द्वारा अतिरिक्त जिलाध्यक्ष रीवा अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू० राजस्व संहिता

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है

- - - - - - - - - - - -

1183 1- यह कि प्रश्नास्पद आदेश दिनांक 13-01-2014 विधि विधान के प्रतिकूल है, जो निरस्त योग्य है ।

2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निगरानी में उठाये गये महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं की ओर ध्यान दिये बिना ही अस्पष्ट आदेश पारित कर दिया गया है, जो स्थिर रखने योग्य नही है।

3- यह कि संक्षिप्त में मामला यह था कि नायब तहसीलदार ने नामान्तरण आवेदन दिनांक 2.-7-07 को खारिज कर दिया, अपील होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 22-7-04 निरस्त कर दिया, और जब विचारण न्यायालय में पुनः आवेदन नामान्तरण का दिया गया तो वह आवेदन नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 11-4-11 को निरस्त कर दिया उसी के विरुद्ध निगरानी अतिरिक्त जिलाध्यक्ष रीवा को की गई और उनके समक्ष जो मुद्दे उठाये गये उनका निराकरण नही किया गया।

4- यह कि मामला रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरण करा पाने का था, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छानबीन करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नही बनती

(72)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक R1304-III/14 जिला– रीवा

हरिवंश सिंह विरूद्ध कामतेश्वर सिंह

(1)	(2)	(3)
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री ओ०पी० मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 355/32-74/10-11 में पारित आदेश दिनांक 13-01-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-03-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	